नगर निगम सख्त, नोटिस के बावजूद विज्ञापन एजेंसियों पर असर नहीं

10 दिनों में हटेंगी अवैध होर्डिंग्स

पटना | वरीय संवाददाता

पूरे नगर निगम क्षेत्र से दस दिनों के अंदर सभी अवैध होर्डिंग्स हटा दी जाएंगी। इस बार यह निर्णय सिर्फ निगम की फाइल तक ही नहीं रहेगा बल्कि जमीन पर नजर आएगा। नगर आयुक्त दिवेश सेहरा ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है।

सोमवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक के बाद मेयर अफजल इमाम ने बताया कि स्वयं अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए विज्ञापन एजेंसियों को दो बार नोटिस दिया जा चुका है इसके बावजूद होर्डिंग्स की संख्या में कमी नहीं आयी है। शहर में होर्डिंग्स, यूनिपोल और लॉलीपॉप लाइट लगाने वाली कंपनियों को कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर स्थल पर निगम का आदेश संख्या और कब तक

फरमान

- जिस होर्डिंग्स पर आदेश संख्या और टैक्स जमा रहने के बारे में अंकित नहीं रहेगा उसे काट दिया जाएगा

टैक्स जमा है इसकी सूचना अंकित कर दें।

इसके बाद निगम की टीम जांच में निकलेगी और जिस होर्डिंग्स पर आदेश संख्या और टैक्स जमा रहने के बारे में अंकित नहीं रहेगा उसे अवैध मानते हुए काट दिया जाएगा। न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद मोबाइल टावर लगाने वाली संचार कंपनियों से टैक्स वसूल करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित दर 75 हजार रुपए प्रति यूनिपोल प्रति वर्ष की दर से एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन एजेंसियों ने जमा नहीं किया तो उसे भी काट दिया जाएगा और वसूली के लिए एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिकों को भी नोटिस दिया जाएगा कि किस आदेश के तहत उन्होंने अपने मकान पर होर्डिंग्स लगवा रखा है।